तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29/12/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खाता संख्या 155 कुल किता 20 कुल रकबा 7.2193 हैक्टेयर वाके ग्राम रेण में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित भूमियों के मूल खातेदार रूघा जी थे। विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। मौके पर सभी सहखातेदार काश्त कर रहे है। भूमि खसरा संख्या 586 चाह से सिंचित होती है। अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की भूमि पर दखलदांजी करता है। अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि पर ताफैसला वाद हस्तक्षेप नहीं करें।

खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रकरण चरण संख्या 5 में अंकित जमीन में यदि मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो स्थगन जारी किया जावे। विवादित भूमियॉ संयुक्त स्वामित्व की है, जिसमें प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है हमारे हिस्से में आयी भूमि का हमने विकसित कर लिया है, यदि हमारे द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से में कोई बाधा उत्पन्न की है, उसकी इन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। अप्रार्थी के द्वारा केवल हमें परेशान करते हेतु यह प्रकरण पेश किया है। सहखातेदारी की भूमि पर स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है। समर्थन में विनिर्णय 2019 डी0एन0जे0 पेज नम्बर 370 सुप्रीम कोर्ट को हवाला देते हुए कथन किया कि किसी भी सहखातेदार के विरूद्ध बिना बंटवारे के स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली

खण्डन में पुनः वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि इन्होंने जमीन में किस खसरा नम्बर में हिस्सा है नहीं बताया है सहखातेदार के विरूद्ध भी स्थगन जारी किया जा सकता है। बंटवारे का कोई विधिक दस्तावेज/इकरारनामा पेश नही किया है। इन्होंने अपने हिस्से में बेश कीमती जमीन के खसरा नम्बर वर्णित किए है। सहखातेदार यदि अपने हिस्से की भूमि से अधिक हिस्से पर अतिक्रमण करता है तो स्थगन जारी होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद निर्णय तक विवादित

P.T.O.→

—	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्थगन जारी किया जावे। समर्थन में विनिर्णय–आर0बी0जे0(9) 2002 पेज नम्बर 47–49 पेश किए है।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 155 में अंकित खसरा नम्बरान कुल किता 20 कुल रकबा 7.2193 हैक्टेयर ग्राम रेण जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 155 में अंकित खसरा नम्बरान कुल किता 20 कुल रकबा 7.2193 हैक्टेयर ग्राम रेण जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है। विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–2 हिस्सा होने से सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन बाबत प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 155 में अंकित खसरा नम्बरान कुल किता 20 कुल रकबा 7.2193 हैक्टेयर ग्राम रेण जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है। विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–2 हिस्सा होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है।

खण्ड अधिकारी
हिण्डोली

3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 155 में अंकित खसरा नम्बरान कुल किता 20 कुल रकबा 7.2193 हैक्टेयर ग्राम रेण जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है। विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–2 हिस्सा होने से प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बन रही है।

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नही होने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिपलोली